न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी— मनोज कुमार (आर. ए. एस.)

अपील संख्या : 2022/216

तुलसीराम आत्मज खेमा, जाति माली. (मृतक) जर्ये कायम मुकामान :—

1. रामचन्द्र पुत्र तुलसीराम जाति माली, निवासीगण ग्राम ढावला, तहसील अन्ता जिला बांरा (राज0)
2. श्योजी पुत्र तुलसीराम जाति माली, निवासीगण ग्राम ढावला, तहसील अन्ता जिला बांरा (राज0)
3. मोहनलाल पुत्र तुलसीराम जाति माली, निवासीगण ग्राम ढावला, तहसील अन्ता जिला बांरा (राज0)
4. कुन्जबिहारी पुत्र तुलसीराम जाति माली, निवासीगण ग्राम ढावला, तहसील अन्ता जिला बांरा (राज0)
5. हुकमचन्द पुत्र तुलसीराम जाति माली, निवासीगण ग्राम ढावला, तहसील अन्ता जिला बांरा (राज0)
6. रामनिवास पुत्र तुलसीराम जाति माली, निवासीगण ग्राम ढावला, तहसील अन्ता जिला बांरा (राज0)
7. लक्ष्मण पुत्र तुलसीराम जाति माली, निवासीगण ग्राम ढावला, तहसील अन्ता जिला बांरा (राज0)
8. प्रहलाद पुत्र तुलसीराम जाति माली, निवासीगण ग्राम ढावला, तहसील अन्ता जिला बांरा (राज0)
9. गंगाबाई बेवा तुलसीराम, जाति माली, निवासीगण ग्राम ढावला, तहसील अन्ता जिला बांरा (राज0)

—अपीलान्ट

बनाम

1. गोपाल पुत्र औंकार जाति माली (मृतक) जर्ये कायम मुकामानः—

   1/1. केसर बाई पुत्री नोपाल पत्नि सत्यनारायण, निवासी ग्राम छींचा तहसील सांगोद जिला कोटा (राज0)

   1/2. भेरी उर्फ भंवरीबाई पुत्री गोपाल पत्नि मन्नालाल, निवासी अर्जुनपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा (राज0)

   1/3. धन्नी बाई पुत्री गोपाल पत्नि गोपाल, निवासी खडिया तहसील सांगोद जिला कोटा (राज0)
2. नवलकिशोर पुत्र गोपाल, जाति माली, निवासी राजगढ तहसील सांगोद जिला कोटा (राज0)
3. रामकिशन पुत्र गोपाल, जाति माली, निवासी राजगढ तहसील सांगोद जिला कोटा (राज0)
4. राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा (राज0)

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्रीमती हीना गोस्वामी, अभिभाषक, रेस्पोन्डेन्ट कम 1/2 से 1/4 व 2, 3 की ओर से।

निर्णय दिनांक: 07.07.2023

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगोद जिला कोटा द्वारा प्रकरण सं0 19/2010 में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 04.03.2022 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी द्वारा एक वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 54, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी, वादी की मां एवं प्रतिवादी के सम्मिलित खाते में ग्राम राजगढ तहसील सांगोद में समभाग आराजी स्थित है तथा वादी की मां की मृत्यु होने से तथा वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के पिता खेमा तथा ओंकार की पुत्रियों के वक्त फौती इन्तकाल मना करने पर आराजी में वादी एवं प्रतिवादी का 1/2 समभाग हिस्से की सम्मिलित आराजी है। आराजी का विवरण निम्न प्रकार है—

खसरा नं0	रकबा	किस्म	लगानी
50 रेबारीवाला	9 बीघा 16 बिस्वा	बरानी सोयम	5.50
52 पाबरवाला	26 बीघा 15 बिस्वा	बरानी सोयम	15.00
53 बाबरवाला	3 बीघा 2 बिस्वा	बरानी सोयम	1.75
163	3 बीघा 17 बिस्वा	माल अव्वल	6.25
202 घई का कुंआ	2 बीघा 6बिस्वा	अव्वल चाह नं. 141	4.00
कुल किता	45 बीघा 16 बिस्वा		32.56

उक्त आराजी में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा निहित है। वाद पत्र में वादी एवं प्रतिवादीगण का वंश शजरा अंकित है। वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 का सम्मिलित खाता होने से गोद वादी को काश्त हिस्सा एवं फसल बंटवारा तथा लगान आदि जमा करने तथा आराजी का विकास कार्य हेतु सरकारी एवं बैंक की सहायता लेने में काफी परेशानी आ रही है जिससे वादी के हिस्से को पृथक करवाने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। प्रतिवादी सं. 2 व 3 आये दिन वादी के हिस्से एवं हक की आराजी में शांतिपूर्वक काश्त करने एवं फसल का बंटवारा करते वक्त वादी को नुकसान पहुंचाने, लडाई—झगडा करने, मदाखलत—मजाहमत करने पर आमादा हैं ताकि वादी समुचित हक का हिस्सा न ले सकें। ऐसी स्थिति में वादी एवं प्रतिवादी के मध्य अनेक प्रकार के विवाद पैदा न हों, वादी के लिए प्रतिवादी सं. 2 व 3 को अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद करवाना आवश्यक हो गया है। वादी की बिना सहमति के प्रतिवादी सं.1 उपरोक्त सम्मिलित हिस्से की आराजी को खुर्द—बुर्द करने पर भी आमादा है जिससे भविष्य में कई व्यक्तियों से वादी को अनेक प्रकार के विवादों का सामना करना पडेगा। अन्त मे वादपत्र की चरण संख्या 2 मे वर्णित आराजी मे से अच्छी मे से अच्छी व बुरी मे से बुरी 1/2 समभाग आराजी अथवा वादी के उचित हिस्से तक जो भी आवे प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से से पृथक कर लगान आराजी भी

पृथक किये जाने तथा उसी अनुसार राजस्व अभिलेख मे वादी का हिस्सा पृथक–पृथक अंकित किये जाने का निवेदन किया।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व डिकी दिनांक 04.03.2022 के द्वारा वाद वादी खारिज कर तथा काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण स्वीकार किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 04.03.2022 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांक 04.03.2022 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी 04.03.2022 निरस्त किये जावें ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1/2 से 1/4 व 2, 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वकील साहब ने प्रार्थीगण को बता रखा था कि प्रत्येक पेशी पर उपस्थित होने की जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तब बुलवा लूंगा, इसलिये उक्त प्रकरण में वकील साहब ही उपस्थित होते थे, तथा प्रार्थीगण को उक्त निर्णय एवं डिक्री की कोई जानकारी नहीं थी तथा दिनांक 10–08–2022 को प्रार्थीगण ने वकील साहब से सम्पर्क कर प्रकरण के सम्बन्ध में जानकारी की तो उन्होने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04–03–2022 के बारे में बताया, इस पर प्रार्थीगण ने दिनांक 12–08–2022 को निर्णय व डिक्री की नकल लेने के लिये आवेदन किया, जिसकी नकल दिनांक 25–08–2022 को प्राप्त होने पर अविलम्ब प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय के समक्ष यह अपील की है, इस प्रकार निर्णय की दिनांक 04–03–2022 से जानकारी की दिनांक 10–08–2022 तक की अवधि एवं नकल लेने में लगा समय दिनांक 25–08–2022 तक की अवधि को मियाद में से कन्डोन करने के उपरान्त अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है। अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया कि प्रार्थीगण ने जानबूझ कर अपील प्रस्तुत करने में देरी नहीं की है, उपरोक्त प्रकार अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक एवं क्षम्य है, न्यायहित में उपरोक्त कारणों से निर्णय एवं डिक्री की दिनांक 04–03–2022 से जानकारी होने की दिनांक 10–08–2022 तक की अवधि एवं नकल लेने में लगा समय दिनांक 25–08–2022 तक की अवधि को मियाद में से कन्डोन करने के उपरान्त अपील अवधि मध्य स्वीकार किया जाना अति आवश्यक है। अंत मे अधिवक्ता अपीलांट ने प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त कारणों से निर्णय एवं डिक्री की दिनांक 04–03–2022 से जानकारी होने की दिनांक 10–08–2022 तक की अवधि एवं नकल लेने में लगा समय दिनांक 25–08–2022 तक की अवधि को

मियाद में से कन्डोन करने के उपरान्त अपील अवधि मध्य स्वीकार करने का निवेदन किया।

7. हमने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम मय शपथ–पत्र का अवलोकन किया। न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम मय शपथ–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुई विलम्ब अवधि को क्षमा किया जाता है। अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

8. अपील के विचाराधीन रहते हुए अधिवक्ता अपीलांट की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. पेश किया गया। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज अपील के न्यायिक निस्तारण के लिए आवश्यक व निर्णायक है। अन्त मे प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया। हमने प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया । प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज राजस्व रिकॉर्ड व न्यायालय आदेशो की प्रमाणित प्रतियां है। उक्त दस्तावजों का प्रकरण से सुसंगत होना तथा अपील के निस्तारण मे सहायक सिद्ध होना प्रतीत होता है। अतः न्यायहित मे अपीलांट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

9. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन करते हुए कहा कि अपीलान्ट्स के पिता स्व० तुलसीराम जी ग्राम राजगढ, तहसील सांगोद जिला कोटा की कृषि आराजी खसरा नम्बर 50 रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा, नम्बर 52 रकबा 26 बीघा 15 बिस्वा, नम्बर 53 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा नम्बर 163 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा, नम्बर 202 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 5 की रकबा 45 बीघा 16 बिस्वा आराजी, प्रतिवादी/ रेस्पोडेन्ट्स के पिता स्वर्गीय गोपाल जी के साथ सयुंक्त खाते में उक्त आराजी स्थित थी। जिसके वादी एवं प्रतिवादीगण समान रूप से 1/2–1/2 हिस्से के सयुंक्त खातेदार थे और उसी के अनुसार काबिज काश्त रहे, वादी एवं प्रतिवादी के निधन के पश्चात उनके वारिस उक्त आराजी के 1/2– 1/2 हिस्से के खातेदार मालिक हुये। माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त वाद में काउन्टर क्लेम सन् 1995 में पेश किया गया था, माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद की सुनवाई कर दस्तावेजी साक्ष्य एवं गवाहान के बयान के विपरीत जाकर निर्णय दिनांक 04–03–2022 पारित कर दिया है।माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सयुंक्त खातेदारी की आराजी राजस्व रिकार्ड में 1/2–1/2 ग्राम राजगढ़ तहसील सांगोद की जमाबन्दी अनुसार खातेदारी में अंकित थी, उक्त आराजी सम्वत् 2012 के बाद से लगातार वादीगण एवं प्रतिवादी की खातेदारी में अंकित चली आ रही थी, वाद के निस्तारण के समय लगभग 65 वर्ष से लगातार राजस्थान टीनेन्सी एक्ट लागू हुआ उस समय से दर्ज रिकार्ड रही। जिसकी जानकारी सयुंक्त खाते में होने से प्रतिवादी स्वर्गीय गोपाल जी को अपने जीवन पर्यन्त तक रही, और दोनो सम्मिलित रूप से अपने–अपने हिस्से पर काश्त कर काबिज काश्त रहे, कभी भी किसी तरह का आपस में कोई विवाद नहीं रहा, समय परिवर्तन पर लगान व कृषि ऋण वगैरहा लेने में हुई परेशानी से वादग्रस्त आराजी का अपीलान्ट के पिता वादी द्वारा बंटवारे

का वाद प्रस्तुत किया गया था, और जिसके लगभग 8 वर्ष बाद जवाबदावा व काउन्टर क्लैम प्रस्तुत हुआ, जिसमें प्रतिवादीण ने संयुक्त खाते में होना स्वीकार किया, परन्तु माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने जिस तरह से विवेचना कर निर्णय पारित किया है, वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि यदि रिकार्ड में गलत अंकन हुआ हो तो प्रतिवादीगण द्वारा जानकारी में होते हुये भी क्यों कार्यवाही नहीं की गई, प्रतिवादीण द्वारा यह कहना कि जमाबन्दी की नकल लेने पर जानकारी हुई, पूर्णतया गलत है, और उसकी विवेचना भी माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण की है, हल्का पटवारी को रिकार्ड की पूर्ण जानकारी होती है, और जब भी जमाबन्दी की जरूरत होती है तो हल्का पटवारी से नकल प्राप्त की जाती है। कृषि ऋण एवं प्राकृतिक आपदा के कारण मिलने वाले मुआवजा राशि में भी जमाबन्दी को आधार बनाया जाता है, जिसमें यह तथ्य प्रतिवादीगण की जानकारी में शुरू से ही रहा है कि वह वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से का ही खातेदार है, माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने मौखिक व रिकार्ड की साक्ष्य का विधि विरूद्ध विवेचन कर जिस तरह से निर्णय पारित किया है, वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो तनकी संख्या 1 बनी थी कि वादी का 1/2 हिस्सा है, उसके सम्बन्ध में जो प्रस्तुत दस्तावेज थे, वह अधिवक्ता की त्रुटि से प्रदर्श नहीं हो पाये, और प्रतिवादी के गवाहान से भी जिरह नहीं की गई, वादी अनपढ एवं वृद्ध किसान था, जिसको कानूनी की बारीकीयों की कोई जानकारी नही थी, अधिवक्ता पर ही विश्वास किया, जबकि वादी अपने जीवन पर्यन्त रिकार्डेड खातेदार रहा है, तथा उसके पश्चात् अपीलान्ट्स रेकार्डेड खातेदार चले आ रहे है, तहसीलदार द्वारा जो खातेदारी दर्ज की गई वह पूर्णतया विधि सम्मत थी। उक्त तनकी के सम्बन्ध में प्रदर्श–1 जमाबन्दी को आधार मानकर निर्णय पारित किया है, इस प्रकार से माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है, वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है।माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने पारिवारिक शजरा के दस्तावेजों व साक्ष्य से साबित होते हुये भी कि उक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के 1/2–1/2 हिस्से की आराजी है, जिस पर दोनों अपने जीवन पर्यन्त काबित काश्त रहे सिद्ध तथ्यों के विपरीत जाकर अपनी विवेचना में जिस तरह से शजरा के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है. जो पूर्णतया त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है।माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि जानकारी में रहते हुये 1/2 हिस्से पर वादी/ अपीलान्स के पिता तनहा काबिज काश्त रहे, जो एक प्रकार से खातेदारी होने की जानकारी को स्वीकार माना गया, और वक्त इन्द्राज उक्त आदेश को कभी भी चौलेन्ज नहीं किया गया, इस प्रकार यदि पारिवारिक शजरे में रिकार्ड नहीं मिलने भिन्नता भी हो तो सयुंक्त खातेदार की मौन स्वीकृति अपीलान्ट्स की खातेदारी को पूर्णतया सिद्ध करती है। अधीनस्थ न्यायालय मे अधिवक्ता वादी अपीलांट ने स्वयं के स्तर पर ही निर्णय लिए। वादी अपीलांट को कभी कोई जानकारी नहीं दी। वादी अपीलांट समुचित सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे हमारे दस्तावेज नहीं है। इस प्रकार माननीय अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता अपीलांट ने न्यायिक दृष्टांत के अंतर्गत ए. आई. आर. 1981 एस. सी. पेज 1400, आर. आर. टी. 2023 (1) पेज 365, 375, आर. आर. डी. 1990 पेज 170, डी. एन. जे. 2000 एस. सी. पेज 164, आर. आर. टी. 2002(1) पेज 648, आर. आर. टी. 2001(2) पेज 872 व पेज 1133, आर. आर. टी. 2023(1) पेज 312 पेश किये। अंत में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी खारिज करने हेतु निवेदन किया।

10. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने लिखित बहस प्रस्तुत की तथा मौखिक बहस मे निवेदन किया कि अपीलांट वादी की ओर से प्रस्तुत मद संख्या 1 स्वीकार नहीं है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद का निर्णय दिनांक 04.03.2022 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुकूल होने से अपील अपीलांट/वादी खारिज होने योग्य है। अपील की मद संख्या 2 स्वीकार नहीं है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 04.03.2022 मे रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी का काउंटर क्लेम स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलांट वादी का वाद खारिज किया गया। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सेटलमेन्ट से पूर्व सम्वत् 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 जो कि प्रदर्श–पी–1 है। उक्त प्रदर्श पी–1 में सम्पूर्ण भूमि में खातेदार गोपाल वल्द औंकार दर्ज है। दौराने सेटलमेंट द्वारा अपीलांट वादी का 1/2 हिस्से का गलत अंकन कर दिया, जिसका राजस्व रिकॉर्ड मे खातेदारी अधिकारों का परिवर्तन करने का अधिकार सेटलमेंट विभाग को नहीं है। किया गया अंकन 1/2 हिस्सा विधि विरूद्ध होने से तनकी संख्या 1 आया। वादपत्र के मद संख्या 2 में वर्णित आराजीयात मे वादी का 1/2 हिस्सा बनता है। जिम्मेवादी–इस तनकी संख्या 1 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट वादी के विरूद्ध तय की गई है जिसमें प्रदर्श पी–1 पूर्ण विवेचना की है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 04.03.2022 पूर्णरूपेण रिकॉर्ड और साक्ष्य के आधार पर पारित किया गया है, जो विधि सम्मत होने से अपीलांट वादी की अपील खारिज योग्य है। अपील की मद नं. 3 मिथ्या, बनावटी, काल्पनिक है, क्योंकि अपीलांट/वादी का विवादग्रस्त आराजी पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा। इस तथ्य की पुष्टि, उपखण्ड अधिकारी के यहां पेश वाद वर्ष 1988 के साथ प्रस्तुत धारा 212 आर. टी. एक्ट का प्रार्थना पत्र का निस्तारण दिनांक 29.04.1989 को किया गया था जिसने पेज नं. 3 स्पष्ट विवेचना की गई, कि अपीलांट/वादी का विवादग्रस्त भूमि पर अपना कब्जा सिद्ध नहीं कर पाया ऐसी सूरत में 212 आर. टी. एक्ट का प्रार्थना पत्र अपीलांट/वादी का दिनांक 29.04.1989 को खारिज किया गया। यह फाइंडिंग राजस्व मण्डल की निगरानी संख्या 60/95 के निर्णय दिनांक 11.04.1996 में पेज संख्या 3 के पैरा संख्या 6 में राजस्व मण्डल ने यह माना की निगराकर गोपाल आत्मज औंकार रेस्पोडेंट/प्रतिवादी का विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त है। राजस्व मण्डल ने यह भी फाइंडिंग दी की विवादित भूमि में 1/2 हिस्सा अपीलांट/वादी का मानना उचित नहीं है, क्योंकि सेटलमेंट पूर्व विवादग्रस्त सम्वत् 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 में रेस्पोंडेंट/प्रतिवादी गोपाल पुत्र औंकार के नाम दर्ज थी तथा वह काबिज था और वर्तमान में भी काबिज है। इस प्रकार अपील के चरण क्रम–3 में 1/2 हिस्से पर काश्त करने का कथन मिथ्या है। क्योंकि अपीलांट/वादी ने 1988 में वाद पेश करते समय कब्जा काश्त में नहीं था। अपीलांट/वादी का विवादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं था। इस प्रकार अपीलांट/वादी वाद पेश करते समय कब्जे में नहीं होने के कारण अंतर्गत धारा–53, 188 आर.टी.एक्ट का दावा नहीं ला सकता। न्यायिक दृष्टांत– **Rajasthan Tenancy Act&(a) Section 188- In a suit under this section is plaintiff must show his actual and physical possession over the suit land on the date of the filing of the suit - The only thing to be examined is the possession of the plaintiff tenant and if his possession is threatened or invaded by any person, such possession can be protected by the Court -(Para-4) RRD-1994, Page No- (326-327) (S.B.) * Rajasthan**

Tenancy Act, Section 188- For a suit under this Section to succeed] the plaintiffs must demostrate that they were in cultivatory possession of land in dispute on date of filing of suit- (Para 8) RRD 1988 Page No.(703-704) (D.B.)- इस बाबत अधीनस्य न्यायालय ने तनकी नं. 4 अपीलांट/वादी के विरुद्ध तय की गई है। अपीलांट/वादी का सेटलमेंट के द्वारा 1/2 हिस्से का केवल मात्र गलत इंद्राज होने पर अपीलांट/वादी के मन में बदनियति आ जाने से आर. टी. एक्ट की धारा 53, 54, 188 का दावा पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोंडेंट/प्रतिवादी का काउंटर क्लेम स्वीकार करते हुये अपीलांट/वादी का दावा दिनांक 04.03.2022 को खारिज कर दिया। अधीनस्य न्यायालय का निर्णय दिनांक 04.03.2022 का विधि सम्मत होने से अपील अपीलांट/वादी खारिज होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 04.03.2022 के पेज नं. 10 में तनकी नं. 1 की विवेचना करते हुये तनकी नं. 1 अपीलांट/वादी के विरुद्ध तय की गई है। क्योंकि विवादग्रस्त आराजी सम्वत् 2009–2012 ग्राम राजगढ़ की जमाबंदी में रेस्पोंडेंट/प्रतिवादी गोपाल वल्द ओंकार सेटलमेंट से पूर्व खाते में दर्ज थी जो जमाबंदी प्रदर्श पी–1 है जिसमें अपीलांट/वादी का नाम दर्ज नहीं था। अपीलाट/वादी का नाम 1/2 हिस्से पर। सेटलमेंट विभाग की गलती से दर्ज हुआ जो काबिल निरस्तनीय योग्य है। क्योंकि सेटलमेंट विभाग को प्रीवियस इंद्राज बदलकर अपीलांट/बादी तुलसीराम पुत्र खेमा का नाम दर्ज करने का अधिकार नहीं था। किया गया अंकन काबिल निरस्तनीय योग्य था। इस बाबत अधीनस्थ द्वारा तनकी नं. 5– आया विवादित आराजी सेटलमेंट से पूर्व गोपाल के खाते में दर्ज थी सेटलमेंट विभाग को प्रिवियस इंद्राज बदलकर अपीलांट/वादी के पिता खेमा का नाम दर्ज करने का अधिकार नहीं था। किया गया अंकन काबिल निरस्तनीय योग्य था, जो कानूनन आर. आर. डी. 1994, पेज संख्या 266, व आर. आर. टी. 2008 वॉल्यूम–1 पेज नं. 151 व 1994 आर. आर. डी. पेज नं. 204 न्यायिक सिद्धांत के विपरित होने से काबिल निरस्तनीय थी। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट/प्रतिवादी का काउंटर क्लेम करते हुये का इंद्राज गंगाबाई पत्नी तुलसीराम हिस्सा 1/2 अपीलांट/वादी का नाम खाते से डिलिट करने में कोई त्रुटि नहीं की और संपूर्ण आराजी ग्राम राजगढ़ के पुराने खसरा नं. 50, 52, 53, 163, 202 कुल 45 बीघा, 16 बिस्वा जिसके वर्तमान नं. 173/915, 174, 174/916, 175, 179, 186, 187, 338, 339, 391 किता 10 रकबा 7.41 पर रेस्पार्डेट/प्रतिवादी को खातेदार घोषित कर दिया। पारित निर्णय दिनांक 04.03.2022 विधि सम्मत है। अपील अपीलांट/वादी खारिज होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नं. 5 रेस्पोंडेंट/प्रतिवादी के पक्ष में तय की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नं. 5 अपीलांट/वादी के विरूद्ध तय कर अपीलांट/वादी का दावा विधि अनुकूल खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 04.03.2022 विधि अनुकूल होने से अपील अपीलांट/वादी खारिज होने योग्य है। अपीलांट/वादी की अपील का मद नं. 4 स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि विवादग्रस्त आराजी सेटलमेंट के पूर्व सम्पूर्ण भूमि जमाबंदी सम्वत 2009–2012 जो प्रदर्श पी–1 है में खातेदारी गोपाल पुत्र औंकार खातेदार दर्ज था और काबिज काश्त था, केवल मात्र सेटलमेंट की गलती से 1/2 हिस्से पर अपीलांट/वादी का नाम गलत तरीके से इंद्राज हो गया। जो काबिल निरस्तनीय योग्य है। जो कि न्यायिक दृष्टांत आर. आर. डी. 1994 व आर. आर. टी. 2008 (1) पेज संख्या–151 एच.सी. (राजस्थान) इस तथ्य को अपीलांट/वादी ने अपने अपील के पेज संख्या–4 के मद नं. 4 में स्वीकार किया गया कि रिकॉर्ड में गलत 1/2 हिस्से का अंकन हुआ तो रेस्पोंडेंट/प्रतिवादी के द्वारा कार्यवाही क्यों नहीं की गई, इस रेस्पोंडेंट/प्रतिवादी का कथन है, अपीलांट/वादी ने गलत इंद्राज

के आधार पर अंतर्गत धारा – 53, 54, 188 आर. टी. एक्ट का दावा 1988 में कर दिया था, जिस पर रेस्पोडेंट/प्रतिवादी के द्वारा जवाब व काउंटर क्लेम पेश करने के उपरांत अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलांट/वादी का वाद दिनांक 04.03.2022 को खारिज कर दिया, जो कि विधि सम्मत है, और अपीलांट/वादी का नाम डिलीट करने का आदेश न्यायालय के द्वारा जारी किया गया। इस प्रकार अपीलांट/वादी का मद नं. 4 सारहीन होने अपील अपीलांट/वादी खारिज होने योग्य है। अपीलांट/वादी की अपील का मद नं. स्वीकार योग्य नहीं क्योंकि अधीनस्य न्यायालय अधीनस्य न्यायालय तनकी नं. 1 अपीलांट/वादी विरुद्ध तय गई है जमाबंदी सम्वत् 2008–2012 प्रदर्श पी–1 जिसमें खातेदार गोपाल पुत्र औंकार जाति माली एकल जोत दर्ज जो रिकॉर्डेड साक्ष्य जिसके आधार पर रेस्पोंडेंट/प्रतिवादी का काउंटर क्लेम स्वीकार कर तनकी नं. बहक रेस्पोडेंट/प्रतिवादी के हक तय की गई, अपीलांट/वादी का वाद खारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई अपील अपीलांट/वादी खारिज होने योग्य है। अपीलांट/वादी की अपील का मद नं. स्वीकार नहीं है। क्योंकि सेटलमेंट द्वारा विवादग्रस्त आराजी पर 1/2 हिस्सा गलत इंद्राज हो गया जो डिलिट होना था, क्योंकि सेटलमेंट विभाग द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के इंद्राज को परिवर्तन करने का अधि कार नहीं है। जो गलत इंद्राज को काबिल निरस्तनीय योग्य मानी जाती जो आरएल. आर. एक्ट 1956 सेक्शन 125, 136 के प्रावधानों के विपरित माना जाता है। ऐसी की गई प्रविष्टि सेटलमेंट विभाग के द्वारा की गई गलत अवैध मानी गई है। अधीनस्य न्यायालय द्वारा इस बाबत तनकी को रेस्पोंडेंट/प्रतिवादी के हक तय करते हुये अपना निर्णय दिनांक 04.03.2022 में अपीलांट/वादी का 1/2 हिस्से का गलत इंद्राज को डिलिट करने में और संपूर्ण आराजी रेस्पोंडेंट/प्रतिवादी के हक संपूर्ण भूमि खाते दर्ज करने कोई त्रुटि नहीं की। अपील अपीलांट/वादी खारिज होने योग्य है। अपीलांट की अपील का मद नं. 7 स्वीकार नहीं है। क्योंकि अपीलांट/वादी द्वारा पेश दावे में जो पारिवारिक सजरा पेश किया गया उसमें ओंकार और खेमा दोनों सगे भाई होना सिद्ध नहीं होता है क्योंकि सजरे में इन दोनों भाईयों के पिता का नाम अंकित नहीं इस बाबत तनकी नं. 2 आया ओंकार एवं खेमा सगे भाई थे, वाद पर इसका क्या असर है–जिम्मेवादी। तनकी नं. 2 अधीलांट/वादी के विरुद्ध तय की गई है अपीलां/वादी इस तथ्य को सिद्ध नहीं कर पाया की ओंकार व खेना दोनों सगे भाई थे, क्योंकि जमाबंदी 2008–2012 में गोपाल पुत्र ओंकार के खाते दर्ज थी जो राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 सम्वत् 2012 में लागू हुआ उस समय 2012 की जमाबंदी में गोपाल पुत्र औंकार का नाम दर्ज था। इसका मतलब यह हुआ कि औंकार का कोई सगा भाई नहीं था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने खेमा का सगा भाई नहीं माना और अपीलांट/वादी भी इस तथ्य को सिद्ध नहीं कर पाया। अधीनस्य न्यायालय की पत्रावली में जो प्रदर्श पी–7, प्रदर्श पी–8, प्रदर्श पी–9, प्रदर्श पी–10 जो पेश किया गया है उनमें अंकित आराजियात व आराजियात के खातेदार अन्य व्यक्ति है जिनका इस वाद से कोई संबंध नहीं है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नं 2 अपीलाट वादी के विरुद्ध तय की गई है। अपीलांट/वादी ऐसा कोई भी रिकॉर्डेड साक्ष्य पेश नहीं कर सका जिसमें ओंकार व खेमा दोनों सगे भाई होना सिद्ध हो सके। इस तथ्य को सिद्ध करने में अपीलांट/वादी असमर्थ रहा इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 04.03.2022 विधि सम्मत है। अपील अपीलां/वादी खारिज होने योग्य है। अपीलांट/वादी की अपील का मद नं. 10 स्वीकार नहीं है। क्योंकि अधीनस्य न्यायालय के द्वारा निर्णय दिनांक 04.03.2022 को कर दिया था जिसकी जानकारी अपीलांट/वादी के वकील को जानकारी थी। अपीलांट/वादी के द्वारा अपील अंदर मियाद पेश नहीं की गई। अपील मियाद बाहर

होने से अपील अपीलांट/वादी खारिज होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.03.2022 में तनकी नं. 1 से 6 अपीलांट/वादी के विरूद्ध तय की गई है। इस कारण अपील अपीलांट/वादी खारिज होने योग्य है। अधीमस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.03.2022 की पालना मुताबिक इजराय न. 21/2022 न्यायालय आदेश श्रीमान उपखण्ड अधिकारी सांगोद की पालना में क्रमांक 2022/272 दिनांक 07.03.2022 व तहसील आदेश क्रमांक भू-अभिलेख/2022/1139 दिनांक 08.03.2022 की पालना में अपीलांट/वादी खातेदार गंगाबाई पत्नी तुलसीराम हिस्सा 1/2 का नाम खाते से डिलिट कर दिया गया है और संपूर्ण आराजी 7.41 डैक्टर भूमि पर रेस्पोंडेंट/प्रतिवादीगण को खातेदार घोषित कर इंद्राज कर दिया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिकी की पूर्ण पालना हो चुकी है। अपील अपीलांट/वादी सारहीन होने निरस्तनीय होने योग्य है। अपीलांगण 1 से अधिकार नहीं केवल मात्र अपीलांट संख्या 9 गंगाबाई को अपील पेश करने का अधिकार है क्योंकि जर्ये रिलीजउ डीड गंगाबाई के हम में अपने अधिकारों का हकत्याग कर दिया गया है, जिसका इंद्राज इंतकाल नं 172 दिनांक 05.03.2010 जमाबंदी सम्वत 2064-67 में केवल अपीलांट 9 गंगाबाई देवा तुलसीराम खातेदार है जिसका न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 04.03.2022 में अपीलांट 9 गंगाबाई तुलसीराम हिस्सा 1/2 डिलिट किया गया विधिवत रूप डिलिट कर रेस्पोंडेंट प्रतिवादी संपूर्ण भूमि दर्ज करने आदेश गया है इस प्रकार अपीलांट से 8 को अपील करने अधिकार नहीं अपील अपीलांट/वादी खारिज होने योग्य है। अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता रेस्पो0 ने न्यायिक दृष्टांत के अंतर्गत आर. आर. डी. 1994 पेज 204, 266, आर. आर. डी. 1992 पेज 658, आर. आर. टी. 2008 VOL. (1) पेज 151 हाईकोर्ट पेश किये। अंत में अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपील अपीलांट खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

11. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया। प्रार्थी अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत किये गये राजस्व रिकार्ड की फोटो प्रतियों में नामांतरकारण सं0 657 दिनांक 09.03.2022 के अनुसार खसरा नं0 173/915 रकबा 0.09 हे., 174 रकबा 0.46 हे. 174/916 रकबा 0.57 हे., 175 रकबा 0.47 हे., 179 रकबा 0.50 हे. , 186 रकबा 2.33 हे., 187 रकबा 2 हे., 338 रकबा 0.19 हे., 339 रकबा 0.43 हे., 391 रकबा 0.37 हे. कुल किता 10 कुल रकबा 7.41 है0 भूमि मुताबित डिकी न्यायालय उपखंड अधिकारी सांगोद कमांक 272 दिनांक 07.03.2022 व तहसील आदेश कमांक 1139 दिनांक 08.03.2022 की पालना में नवल किशोर पुत्र गोपाल हिस्सा 1/5 रामकिशन पुत्र गोपाल हिस्सा 1/5, केशरबाई पुत्री गोपाल हिस्सा 1/5 धन्नी बाई पुत्री गोपाल हिस्सा 1/5 भैरीबाई उर्फ भंवरी बाई पुत्री गोपाल हिस्सा 1/5 दर्ज रिकार्ड किया गया है। नकल जमाबंदी संवत् 2015-2018 के अनुसार खसरा नं0 50 रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं0 52 रकबा 26 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं0 53 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं0 163 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं0 202 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, कुल किता 5 रकबा 45 बीघा 16 बिस्वा भूमि पर गोपाल वल्द ओंकार, खेमा वल्द देवा कौम माली सा. देह हिस्सा बराबर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। सत्यापित प्रति खाता संवत् 2009-2012 मय खाता सं0 21 गोपाल बेटा ओंकार के नाम दर्ज है। नकल जमाबंदी 2064-2067 के अनुसार कुल किता 10 कुल रकबा 7.41 है0 भूमि गोपाल के वारिसान हिस्सा 1/2 हि. ब. तथा तुलसीराम के वारिसान हिस्सा 1/2 हि. ब. के नाम दर्ज है।

होने से अपील अपीलांट/वादी खारिज होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.03.2022 में तनकी नं. 1 से 6 अपीलांट/वादी के विरूद्ध तय की गई है। इस कारण अपील अपीलांट/वादी खारिज होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.03.2022 की पालना मुताबिक इजराय न. 21/2022 न्यायालय आदेश श्रीमान उपखण्ड अधिकारी सांगोद की पालना में क्रमांक 2022/272 दिनांक 07.03.2022 व तहसील आदेश क्रमांक भू-अभिलेख/2022/1139 दिनांक 08.03.2022 की पालना में अपीलांट/वादी खातेदार गंगाबाई पत्नी तुलसीराम हिस्सा 1/2 का नाम खाते से डिलिट कर दिया गया है और संपूर्ण आराजी 7.41 हैक्टर भूमि पर रेस्पोंडेंट/प्रतिवादीगण को खातेदार घोषित कर इंद्राज कर दिया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिकी की पूर्ण पालना हो चुकी है। अपील अपीलांट/वादी सारहीन होने निरस्तनीय होने योग्य है। अपीलांगण 1 से अधिकार नहीं केवल मात्र अपीलांट संख्या 9 गंगाबाई को अपील पेश करने का अधिकार है क्योंकि जर्ये रिलीजउ डीड गंगाबाई के हम में अपने अधिकारों का हकत्याग कर दिया गया है, जिसका इंद्राज इंतकाल नं 172 दिनांक 05.03.2010 जमाबंदी सम्वत 2064-67 में केवल अपीलांट 9 गंगाबाई देवा तुलसीराम खातेदार है जिसका न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 04.03.2022 में अपीलांट 9 गंगाबाई तुलसीराम हिस्सा 1/2 डिलिट किया गया विधिवत रूप डिलिट कर रेस्पोंडेंट प्रतिवादी संपूर्ण भूमि दर्ज करने आदेश गया है इस प्रकार अपीलांट से 8 को अपील करने अधिकार नहीं अपील अपीलांट/वादी खारिज होने योग्य है। अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता रेस्पो0 ने न्यायिक दृष्टांत के अंतर्गत आर. आर. डी. 1994 पेज 204, 266, आर. आर. डी. 1992 पेज 658, आर. आर. टी. 2008 VOL. (1) पेज 151 हाईकोर्ट पेश किये। अंत में अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपील अपीलांट खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

11. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया। प्रार्थी अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत किये गये राजस्व रिकार्ड की फोटो प्रतियों में नामांतरकारण सं0 657 दिनांक 09.03.2022 के अनुसार खसरा नं0 173/915 रकबा 0.09 हे., 174 रकबा 0.46 हे. 174/916 रकबा 0.57 हे., 175 रकबा 0.47 हे., 179 रकबा 0.50 हे. , 186 रकबा 2.33 हे., 187 रकबा 2 हे., 338 रकबा 0.19 हे., 339 रकबा 0.43 हे., 391 रकबा 0.37 हे. कुल किता 10 कुल रकबा 7.41 है0 भूमि मुताबित डिकी न्यायालय उपखंड अधिकारी सांगोद कमांक 272 दिनांक 07.03.2022 व तहसील आदेश कमांक 1139 दिनांक 08.03.2022 की पालना में नवल किशोर पुत्र गोपाल हिस्सा 1/5 रामकिशन पुत्र गोपाल हिस्सा 1/5, केशरबाई पुत्री गोपाल हिस्सा 1/5 धन्नी बाई पुत्री गोपाल हिस्सा 1/5 भैरीबाई उर्फ भंवरी बाई पुत्री गोपाल हिस्सा 1/5 दर्ज रिकार्ड किया गया है। नकल जमाबंदी संवत् 2015-2018 के अनुसार खसरा नं0 50 रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं0 52 रकबा 26 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं0 53 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं0 163 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं0 202 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, कुल किता 5 रकबा 45 बीघा 16 बिस्वा भूमि पर गोपाल वल्द ओंकार, खेमा वल्द देवा कौम माली सा. देह हिस्सा बराबर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। सत्यापित प्रति खाता संवत् 2009-2012 मय खाता सं0 21 गोपाल बेटा ओंकार के नाम दर्ज है। नकल जमाबंदी 2064-2067 के अनुसार कुल किता 10 कुल रकबा 7.41 हे0 भूमि गोपाल के वारिसान हिस्सा 1/2 हि. ब. तथा तुलसीराम के वारिसान हिस्सा 1/2 हि. ब. के नाम दर्ज है।

तथा जमाबंदी में अंकित नोट "इंतकाल नं0 172 दिनांक 05.03.2010 से हक त्याग द्वारा रामचन्द्र शोजी मोहन कुंजबिहारी हुकमचन्द रामनिवास लक्ष्मण प्रहलाद के स्थान पर गंगाबाई बेवा तुलसीराम के नाम हिस्सा 1/2 में खाता दर्ज करने का आदेश हुआ।" अंकित है। प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 से प्रस्तुत खसरा गिरदावरी संवत् 2016 (खसरा नं0 253 से 259 तक), खसरा गिरदावरी संवत् 2019–2022 (खसरा नं0 251 से 260 तक), खसरा गिरदावरी संवत् 2015–2018 (खसरा नं0 310 से 314 तक), खसरा गिरदावरी संवत् 2019–2022 (खसरा नं0 301 से 310 तक) प्रस्तुत की है। खसरा गिरदावरी संवत् 2019–2022 (खसरा नं0 161 से 168 तक) जिसमें से खसरा नं0 163 की 3 बीघा 17 बिस्व भूमि पर गोपाल वल्द ओंकार व खेमा वल्द माली उपकृषक दर्ज रिकार्ड है। तथा गिरदावरी में फसल दर्ज है। खसरा गिरदावरी संवत् 2015–2018 (खसरा नं0 197 से 203 तक), जिसमें से खसरा नं0 202 रकबा 02 बीघा 6 बिस्वा भूमि पर गोपाल वल्द ओंकार खेमा वल्द देवा कौम माली हिस्सा बराबर दर्ज रिकार्ड है तथा गिरदावरी में फसल दर्ज है। खसरा गिरदावरी संवत् 2015–2018 (खसरा नं0 162 से 166 तक) जिसमें से खसरा नं0 163 की 3 बीघा 17 बिस्वा भूमि पर गोपाल वल्द ओंकार खेमा वल्द देवा कौम माली हिस्सा बराबर दर्ज रिकार्ड है तथा गिरदावरी में फसल दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय में वाद 1988 में अपीलांटगण के पिता एवं पति वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 29.06.1995 को जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया। वाद में वादी का अनुतोष यह है कि वाद पत्र की चरण सं0 02 में वर्णित आराजी में से अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी 1/2 सममाग आराजी अथवा वादी के उचित हिस्से तक जो भी आवे प्रतिवादी कम 01 के हिस्से से पृथक पृथक कर लगान आराजी भी पृथक किया जावे तथा उसी अनुसार राजस्व अभिलेख में वादी का हिस्सा पृथक पृथक अंकित करवाया जावे, परंतु अपने काउन्टर क्लेम के बिन्दू सं0 03 में प्रतिवादीगण ने कथन किया कि "वाद पत्र की मद नं0 3 में वर्णित सिजरा भी स्वीकार नहीं है वादी के पिता खेमा हम प्रतिवादीगण के पिता गोपाल के सगे भाई नहीं थे।" इसी प्रकार बिन्दू सं0 4 में कथन किया कि "वाद पत्र की मद नं0 4 के उत्तर में निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी पर कभी भी वादी अथवा उसके पिता का कब्जा नहीं रहा, संपूर्ण आराजी हम प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में ही चली आ रही है वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में हम प्रतिवादीगण के पिता गोपाल के साथ सहवन गैर कानूनी अवैधानिक रूप से सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना ही सेटलमेंट विभाग द्वारा अंकित हो गया जो हम प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रभावहीन है। उसका विवादित आराजी में कोई हक नहीं बनता है, इसलिये उसको वाद प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं था।" अधीनस्थ न्यायालय में तनकीयात कायम की गयी। अपील तथा बहस में कथन किया है कि पक्षकार को कोई सूचना नहीं दी गयी तथा अधीनस्थ न्यायालय मे वादी के अधिवक्ता द्वारा ही सारे निर्णय लिए। परंतु हम अधिवक्ता अपीलांट के इस कथन से सहमत नहीं है क्योंकि स्वयं वादी तुलसीराम ने वाद संस्थित किया तथा वाद में पक्षकारान प्रभावी रूप से कन्टेस्ट कर रहे थे। इसी कारण माननीय उच्च न्यायालय तक भी प्रकरण पहुंचा तथा माननीय उच्च न्यायालय ने भी अपने निर्णय दिनांक 26.02.2002 में 6 माह में प्रकरण के निस्तारण के आदेश दिये। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 07.02.2022 से स्पष्ट है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में इतने पुराने वाद को निस्तारण करने हेतु उचित प्रयास किए। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका से स्पष्ट है कि वादीगण के अधिवक्ता लगातार अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हो रहे थे। अधिवक्ता वादी बहस नहीं करना चाहते थे। परंतु वाद में काउन्टर क्लेम भी

था अतः अधीनस्थ न्यायालय ने अधिवक्ता प्रतिवादी की बहस सुनी, जो उचित है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.03.2022 के अनुसार वादग्रस्त आराजी पर संवत् 2008 से ही गोपाल पुत्र ओंकार तन्हा खाते दर्ज रिकार्ड है। दस्तावेजों से कही सिद्ध नहीं है कि ओंकार व खेमा दोनों आपस में सगे भाई हो। संवत् 2012 से पूर्व की जमाबंदी संवत् 2008 के अनुसार भू–प्रबंध से पूर्व तक विवादित आराजी पर गोपाल वल्द ओंकार ही तन्हा खातेदार दर्ज होकर भूमि पर काबिज काश्त रहना अंकित किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.03.2022 में प्रदर्श सं0 01 से प्रदर्श सं0 11 के संबंध में विवेचन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे प्रदर्श/दस्तावेज संलग्न नहीं है। वादी अपीलांट द्वारा अपील के बिन्दु संख्या 3 व 7 के अनुसार उक्त विवादित आराजी पर संवत् 2012 के बाद से लगातार गोपाल वल्द ओंकार के साथ अपने पिता तुलसीराम तथा उससे पूर्व अपने दादा खेमा की संयुक्त खातेदारी होना अंकित किया है, तथा कथन किया कि उक्त संयुक्त खातेदारी में गोपाल वल्द ओंकार तथा उसके वारिसान की मौन स्वीकृति अपीलांट की खातेदारी को सिद्ध करती है। भू–प्रबंध के बाद गोपाल वल्द ओंकार की खातेशुदा भूमि में वादी अपीलांट के दादा खेमा का नाम किन दस्तावेजों के आधार पर रिकार्ड में दर्ज हुआ, यह स्थिति स्पष्ट नहीं है। वादी अपीलांट भू–प्रबन्ध से पूर्व उक्त विवादित आराजी मे अपनी सहखातेदारी तथा भूमि पर कब्जा काश्त साबित करने मे असफल रहा है। हम अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट के इस तर्क से सहमत है कि केवल खसरा गिरदावरी के आधार पर किसी कृषक को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। केवल खसरा गिरदावरी के आधार पर अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती। हम अधिवक्ता अपीलांट के इस कथन से सहमत नहीं है कि अधिवक्ता वादी ने अधीनस्थ न्यायालय मे सारे निर्णय स्वयं ही लिये। वादी अपीलांट स्वयं की लापरवाही दूसरे पर नहीं थोप सकता। वादी अपीलांट द्वारा सम्बंधित विद्वान अधिवक्ता के विरूद्ध कोई शिकायत भी नहीं की गई है। ऐसी स्थिति मे इतने पुराने वाद मे वादी अपीलांट केवल अपने अधिवक्ता को अपना समुचित पक्ष नहीं रखने का जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों मे भी ऐसा कोई राजस्व रिकॉर्ड/दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है, जिससे प्रथम दृष्ट्या यह साबित हो कि ओंकार व खेमा सगे भाई है। खेमा को किस प्रकार खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए दस्तावेजों से यह स्पष्ट नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय मे वादी के अधिवक्ता द्वारा बहस नहीं करने पर स्पष्ट अंकित किया है कि, " प्रकरण मे दिनांक 26.02.2002 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी यह निर्देश प्रदान किये गये थे कि पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी को इस निर्देश के साथ लौटाई जाती है कि वह उसके समक्ष विचाराधीन मूलवाद का निरस्तारण इस आदेश की प्रतिलिपी प्राप्त होने से 6 माह की अवधि मे आवश्यक रूप से कर देगा। पक्षकारों से अपेक्षा की जाती है कि नियत अवधि में प्रकरण के निस्तारण मे विचारण न्यायालय का सहयोग करेगे। यहां यह टिप्पणी करना आवश्यक है कि अधिवक्ता वादी को बार–बार माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान पीठ जयपुर के इस आदेश के संबंध मे अवगत कराने पर भी अधिवक्ता वादी द्वारा न्याय निर्णयन मे न्यायालय का सहयोग नहीं किया है। मूल दावे मे स्वयं अधिवक्ता वादी श्री नरेश कुमार गौतम द्वारा दिनांक 29.03.2003, 18.07.2003, 16.07.2004 एवं दिनांक 20.11.2004 को विभिन्न प्रार्थना–पत्र लगाये गये थे, परन्तु 20 वर्ष बाद भी ना तो अपने ही लगाये हुए प्रार्थना–पत्रो मे बहस की एव ना ही साक्ष्य प्रतिवादी से जिरह की एवं ना ही बहस अंतिम की। इतना ही नहीं पेशी दिनांक 07.02.2022, 14.02.2022, 28.02.2022 एवं 02.03.2022 को लगातार न्यायालय का असहयोग किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार न्यायालय का असहयोग कर

अधिवक्ता वादी एवं वादीगण अपीलीय न्यायालयों से इसी मुद्दे पर रिलीफ चाहने का प्रयास करना चाहते है कि प्रकरण में उनके विरूद्ध लगातार एकतरफा कार्यवाहियां की गई है। यहां यह टिप्पणी करना इसलिये आवश्यक हो गया है कि इस प्रकार की मंशा रखने वाले वादीगण एवं अधिवक्ता वादीगण विभिन्न दाव-पेंच अपनाकर ना केवल अधीनस्थ न्यायालयों का समय जाया करते है अपितु अपीलीय न्यायालयों का भी महत्वपूर्ण समय जाया करते है। वादीगण द्वारा स्वयं ही वाद लाया गया तथा वर्ष 1988 से लगातार प्रकरण मे विलम्ब कारित करने हुए वाद की अंतिम स्टेज पर न्यायालय का सहयोग नहीं किया गया, इसके लिए वादी पर 2000/- अक्षरे दो हजार रूपये की कोस्ट इम्पोज की जाती है।" इससे स्पष्ट है कि वादी संभवतः प्रकरण को निस्तारित नहीं करवाना चाहते थे तथा इसमें लगातार वादी की विलम्ब करने की मंशा रहीं है। प्रकरण सन् 1988 में वादी अपीलांट के पिता व पति द्वारा संस्थित किया गया था। प्रकरण का निर्णय लगभग 34 वर्ष बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विस्तृत विवेचन से गुणावगुण के आधार पर किया गया है। अतः बिना किसी ठोस कारण एवं साक्ष्य/दस्तावेज के प्रकरण को प्रतिप्रेषित करना उचित नहीं है, क्योंकि प्रकरण पहले ही लगभग 34 वर्ष में निर्णित हुआ है। उपर्युक्त विवेचन से यह भी स्पष्ट है कि वादी अपीलांट न्यायालय हाजा के समक्ष भी ऐसा कोई ठोस दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया जिससे वादी अपीलांट के कथन साबित होते हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने तथ्यों का विवेचन करते हुए तनकीवार निर्णय किया है, जिससे हम सहमत है। तनकीवार निर्णय को पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के तनकीवार निष्कर्षों से सहमत है। अतः अपील अपीलांट खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

12. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 04.03.2022 बहाल रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो व नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

13. निर्णय आज दिनांक 07.07.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मनोज कुमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2022/216

तुलसीराम आत्मज खेमा, जाति माली. (मृतक) जर्ये कायम मुकामान :-

1. रामचन्द्र पुत्र तुलसीराम जाति माली, निवासीगण ग्राम ढावला, तहसील अन्ता जिला बांरा (राज0)
2. श्योजी पुत्र तुलसीराम जाति माली, निवासीगण ग्राम ढावला, तहसील अन्ता जिला बांरा (राज0)
3. मोहनलाल पुत्र तुलसीराम जाति माली, निवासीगण ग्राम ढावला, तहसील अन्ता जिला बांरा (राज0)
4. कुन्जबिहारी पुत्र तुलसीराम जाति माली, निवासीगण ग्राम ढावला, तहसील अन्ता जिला बांरा (राज0)
5. हुकमचन्द पुत्र तुलसीराम जाति माली, निवासीगण ग्राम ढावला, तहसील अन्ता जिला बांरा (राज0)
6. रामनिवास पुत्र तुलसीराम जाति माली, निवासीगण ग्राम ढावला, तहसील अन्ता जिला बांरा (राज0)
7. लक्ष्मण पुत्र तुलसीराम जाति माली, निवासीगण ग्राम ढावला, तहसील अन्ता जिला बांरा (राज0)
8. प्रहलाद पुत्र तुलसीराम जाति माली, निवासीगण ग्राम ढावला, तहसील अन्ता जिला बांरा (राज0)
9. गंगाबाई बेवा तुलसीराम, जाति माली, निवासीगण ग्राम ढावला, तहसील अन्ता जिला बांरा (राज0)

—अपीलान्ट

बनाम

1. गोपाल पुत्र औंकार जाति माली (मृतक) जर्ये कायम मुकामानः-

1/1. केसर बाई पुत्री नोपाल पत्नि सत्यनारायण, निवासी ग्राम छींचा तहसील सांगोद जिला कोटा (राज0)

1/2. भेरी उर्फ भंवरीबाई पुत्री गोपाल पत्नि मन्नालाल, निवासी अर्जुनपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा (राज0)

1/3. धन्नी बाई पुत्री गोपाल पत्नि गोपाल, निवासी खडिया तहसील सांगोद जिला कोटा (राज0)

2. नवलकिशोर पुत्र गोपाल, जाति माली, निवासी राजगढ तहसील सांगोद जिला कोटा (राज0)

3. रामकिशन पुत्र गोपाल, जाति माली, निवासी राजगढ तहसील सांगोद जिला कोटा (राज0)

4. राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा (राज0)

—रेस्पोडेन्ट

वाद संख्याः 19/2010

तुलसीराम आत्मज खेमा, जाति माली. (मृतक) जर्ये कायम मुकामान :–

2. रामचन्द्र पुत्र तुलसीराम जाति माली, निवासीगण ग्राम ढावला, तहसील अन्ता जिला बांरा (राज0)

2. श्योजी पुत्र तुलसीराम जाति माली, निवासीगण ग्राम ढावला, तहसील अन्ता जिला बांरा (राज0)

3. मोहनलाल पुत्र तुलसीराम जाति माली, निवासीगण ग्राम ढावला, तहसील अन्ता जिला बांरा (राज0)

4. कुन्जबिहारी पुत्र तुलसीराम जाति माली, निवासीगण ग्राम ढावला, तहसील अन्ता जिला बांरा (राज0)

5. हुकमचन्द पुत्र तुलसीराम जाति माली, निवासीगण ग्राम ढावला, तहसील अन्ता जिला बांरा (राज0)

6. रामनिवास पुत्र तुलसीराम जाति माली, निवासीगण ग्राम ढावला, तहसील अन्ता जिला बांरा (राज0)

7. लक्ष्मण पुत्र तुलसीराम जाति माली, निवासीगण ग्राम ढावला, तहसील अन्ता जिला बांरा (राज0)

8. प्रहलाद पुत्र तुलसीराम जाति माली, निवासीगण ग्राम ढावला, तहसील अन्ता जिला बांरा (राज0)

9. गंगाबाई बेवा तुलसीराम, जाति माली, निवासीगण ग्राम ढावला, तहसील अन्ता जिला बांरा (राज0)

— वादीगण

बनाम

1. गोपाल पुत्र औंकार जाति माली (मृतक) जर्ये कायम मुकामानः–

   1/1. केसर बाई पुत्री नोपाल पत्नि सत्यनारायण, निवासी ग्राम छींचा तहसील सांगोद जिला कोटा (राज0)

   1/2. भेरी उर्फ भंवरीबाई पुत्री गोपाल पत्नि मन्नालाल, निवासी अर्जुनपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा (राज0)

   1/3. धन्नी बाई पुत्री गोपाल पत्नि गोपाल, निवासी खडिया तहसील सांगोद जिला कोटा (राज0)

2. नवलकिशोर पुत्र गोपाल, जाति माली, निवासी राजगढ तहसील सांगोद जिला कोटा (राज0)

3. रामकिशन पुत्र गोपाल, जाति माली, निवासी राजगढ तहसील सांगोद जिला कोटा (राज0)

4. राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा (राज0)

—प्रतिवादीगण

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद सख्या 19/2010 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.03.2022 के विरूद्ध उक्त अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः उक्त अपील स्वीकार फरमाई जावे।

2. उक्त अपील तारीख 07.07.2023 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री महेश योगी, रेस्पोडेन्ट संख्या 1/2 से 1/4 व 2, 3 की ओर से अभिभाषक हीना गोस्वामी उपस्थित होने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 04.03.2022 यथावत रखा जाता है।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है।

यह डिकी आज तारीख 07.07.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा